रेल दावा अधिकरण

पटना पीठ, पटना

वाद संख्या–OA(IIu)/PNBE/152/2019

पीठासीनः श्री वीरेन्द्र कुमार गोयल, माननीय सदस्य (न्यायिक), रे0दा0अ0/भुवनेश्वर, सर्किट बेंच पटना।

संस्थन की तिथिः 21.06.2019
निर्णय की तिथिः 23.10.2024

नागेन्द्र सिंह व अन्य,
स्थायी पता–
सभी निवासी ग्राम– बेशवक,
थाना– इस्लामपुर, जिला– नालंदा,
बिहार, 801301
वर्तमान पता–
सभी निवासी ग्राम– बहादुरपुर मारवाड़ी कॉलोनी, नियर श्याम मंदिर राजेन्द्र नगर,
जिला– पटना, बिहार, 800016 .... याची

बनाम

भारत संघ
द्वारा महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता ....उत्तरदाता

दावा राशिः ₹8,00,000/– मय ब्याज

उपस्थितिः
याची की ओर से–श्री आर के पटेल, अधिवक्ता–उपस्थित।
उत्तरदाता की ओर से–श्री कुमार सचिन, अधिवक्ता–उपस्थित।

<u>निर्णय</u>

श्री वीरेन्द्र कुमार गोयल, माननीय सदस्य (न्यायिक):

1. याची ने यह याचिका रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–16 के अन्तर्गत राखी कुमारी की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप उन पर अपनी आश्रितता के आधार पर भारत संघ (द्वारा महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता) के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में ₹8,00,000/– एवं उस पर ब्याज दिये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत की है।

2. याचीगण के अभिकथन के अनुसार, मृतका राखी कुमारी अपने पति नागेन्द्र सिंह के साथ दिनांक 12.11.2018 को शयनयान श्रेणी यात्रा टिकट सं0 PNR No. 6521854065 (दो व्यक्तियों के लिए) को लेकर ट्रेन सं0 18623, पटना–हटिया एक्सप्रेस से पटना जं0 से रांची स्टेशन जा रही थी। उक्त ट्रेन जब दिनांक 13.11.2018 की सुबह मूरी और सिल्ली स्टेशन के बीच कोचो रेलवे फाटक के पोल नं0 357/27 के निकट से गुजर रही थी, इसी दौरान मृतका बेसिन के पास हाथ–मुंह धो रही थी। इसी क्रम में ट्रेन से झटका लगने तथा बेसिन के पास फिसलन के चलते पैर फिसलने के कारण मृतका अचानक चलती ट्रेन से नीचे गिर गयी। इस दुर्घटना में आयी गंभीर चोटों के कारण घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। यात्रा टिकट की प्रति दावा आवेदन के साथ संलग्न की गयी है।

3. उत्तरदाता द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत करते हुए याचीगण के उपरोक्त अभिकथन से पूर्णतः इन्कार किया गया और याचिका का इस आधार पर विरोध किया गया कि कथित घटना कोई अनपेक्षित घटना नहीं थी और यह रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123 (सी) (2) के दायरे में नहीं आती है। दावा आवेदन का पैरा–6 में दिया गया कथन अस्वीकार्य है। मृतका ट्रेन की सद्भावी यात्री नहीं थी। मृतका की मृत्यु उसकी स्वयं की लापरवाही, अतिक्रमण और आपराधिक कृत्य के कारण हुई थी। इस आवेदन में

मेमो और अंतिम रिपोर्ट संलग्न नहीं है। आवेदक किसी मुआवजे का अधिकारी नहीं है। अतः याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

वाद बिन्दु

4. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर इस याचिका के निर्णय के लिए न्यायाधिकरण द्वारा निम्नलिखित वाद बिन्दु दिनांक 23.03.2021 को विरचित किये गये।

(1) क्या मृतका गाड़ी संख्या 18623 का एक सद्भावी यात्री थी?

(2) क्या मृतका की मृत्यु रेल अधिनियम 1989 की धारा 123 (C) की परिधि के अंतर्गत अनपेक्षित घटना में हुई थी?

(3) क्या आवेदक/आश्रितगण मृतक के आश्रित हैं?

(4) क्या आवेदक/आश्रितगण प्रतिकर की धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं और यदि हाँ तो कितना?

5. याचीगण द्वारा नागेन्द्र सिंह को अपने अभिकथन के समर्थन में ए.डब्ल्यू–01 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में याचीगण की ओर से रिवर्जेशन टिकट, नागेन्द्र सिंह का फर्दबयान, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, एफ.आई.आर, डेड बॉडी चालान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत वेशवक द्वारा जारी पारिवारिक सूची प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मृत्यु प्रमाणपत्र के मूल की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत की गयी है।

7. उत्तरदाता की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में वैधानिक विवेचना आख्या मय दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की गयी है।

8. याची की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आर के पटेल एवं उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार सचिन द्वारा बहस की गयी।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

विनिश्चय

वाद बिन्दु संख्या 01 व 02

10. उक्त दोनों वाद बिन्दु एक–दूसरे से अन्तर्सम्बन्धित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। इन वाद बिन्दुओं के अन्तर्गत इन तथ्यों का विनिश्चय किया जाना है कि क्या मृतका गाड़ी संख्या 18623 का एक सद्भावी यात्री थी एवं क्या मृतका की मृत्यु रेल अधिनियम 1989 की धारा 123 (C) की परिधि के अंतर्गत अनपेक्षित घटना में हुई थी?

11. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रेल अधिनियम 1989 की धारा 123 के अनुसार:–

धारा 123 (c):

(1) यात्रियों को ले जाती हुई किसी रेलगाड़ी पर या उसके प्रतीक्षालय, अमानती सामान घर या आरक्षण अथवा टिकट घर या प्लेटफार्म रेलवे स्टेशन के परिसर के भीतर किसी अन्य स्थल में की गयी कोई "अनपेक्षित घटना" (कष्टकारी घटना/Untoward incident) का तात्पर्य है–

(i) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 16987 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत कोई आतंकवादी कार्य करना, या

(ii) हिंसात्मक आक्रमण का प्रदर्शन या लूटपाट या डकैती करना, या

(iii) बलवा, गोली चलाकर मार देना या आगजनी की वारदात, अथवा

(2) यात्रियों को ले जाती हुई रेलगाड़ी से किसी यात्री का घटनास्वरूप गिर पड़ना।

12. रेल अधिनियम 1989 की धारा 2(29) में यात्री शब्द को परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत् है:–

धारा 2(29)– "यात्री से किसी विधिमान्य पास या टिकट से यात्रा करनेवाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।"

स्पष्टीकरण– *इस धारा के प्रयोजनों के लिए "यात्री" के अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं, अर्थात्:–*

(i) कर्तव्यारूढ़ रेल सेवक; और

(ii) ऐसा व्यक्ति जिसने यात्रियों को वहन करने वाली रेलगाड़ी द्वारा, किसी तारीख को, यात्रा करने के लिए कोई विधिमान्य टिकट या कोई विधिमान्य प्लेटफार्म टिकट क्रय किया है और वह व्यक्ति किसी अनपेक्षित घटना का शिकार हो जाता है।

इस परिभाषा का तात्पर्य यह भी है कि जो व्यक्ति बिना टिकट के यात्रा करता है उसे यात्री नहीं माना जा सकता है।

13. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रेल अधिनियम 1989 की धारा 124–ए में अनपेक्षित घटनाओं के मद्दे प्रतिकर के लिए प्रावधान किया गया है, जो निम्नवत् है:–

धारा 124A– अनपेक्षित घटनाओं के मद्दे प्रतिकर– जब किसी रेल के कार्यकरण के अनुक्रम में कोई अनपेक्षित घटना होती है तब चाहे रेल प्रशासन की ओर से कोई दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम हुआ हो या न हुआ हो, जो उस यात्रा को जो उसमें क्षतिग्रस्त हुआ है या उस यात्री के जिसकी मृत्यु हो गयी है, आश्रित को उसके बारे में

अनुपोषण करने और नुकसानी वसूल करने के लिए हकदार बनाता है, रेल प्रशासन, किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अनपेक्षित घटना के परिणामस्वरूप किसी यात्री की हुयी मृत्यु या उसको हुयी क्षति द्वारा पहुँची हानि के लिए उस सीमा तक जो विहित की जाय और केवल उस सीमा तक ही प्रतिकर देने के दायित्वाधीन होगाः

परन्तु इस धारा के अधीन रेल प्रशासन द्वारा कोई प्रतिकर संदेय नहीं होगा, यदि यात्री की निम्नलिखित के कारण मृत्यु होती है या उसको क्षति होता है, अर्थात–

(क) उसके द्वारा आत्महत्या या किया गया आत्महत्या का प्रयत्न;

(ख) उसके द्वारा स्वयं को पहुंचायी गयी क्षति;

(ग) उसका अपना आपराधिक कार्य;

(घ) उसके द्वारा मत्तता या उन्मत्तता की हालत में किया गया कोई कार्य;

(ड.) कोई प्राकृतिक कारण या बीमारी अथवा चिकित्सीय या शल्य चिकित्सीय उपचार जब तक कि ऐसा उपचार उक्त अनपेक्षित घटना द्वारा हुयी क्षति के लिए आवश्यक नहीं हो जाता है।

14. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी कि मृतका राखी कुमारी अपने पति नागेन्द्र सिंह के साथ दिनांक 12.11.2018 को शयनयान श्रेणी यात्रा टिकट सं0 PNR No. 6521854065 (दो व्यक्तियों के लिए) को लेकर ट्रेन सं0 18623, पटना–हटिया एक्सप्रेस से पटना जं0 से रांची स्टेशन जा रही थी। उक्त ट्रेन जब दिनांक 13.11.2018 की सुबह मूरी और सिल्ली स्टेशन के बीच कोचो रेलवे फाटक के पोल नं0 357/27 के निकट से गुजर रही थी, इसी दौरान मृतका बेसिन के पास हाथ–मुंह धो रही थी। इसी क्रम में ट्रेन से झटका लगने तथा बेसिन के पास फिसलन के चलते पैर फिसलने के कारण मृतका अचानक चलती ट्रेन से नीचे गिर गयी। इस दुर्घटना में आयी गंभीर चोटों के कारण घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। यात्रा टिकट की प्रति दावा आवेदन के साथ संलग्न की गयी है।

15. उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में बताया गया कि मृतका न तो प्रश्नगत रेलगाड़ी का सद्भावी यात्री थी और न ही ऐसी कोई दुर्घटना घटित हुयी। याची द्वारा प्रस्तुत किया गया यात्रा टिकट गलत एवं भ्रामक है।

16. याचीगण के द्वारा जो टिकट प्रस्तुत किया गया है उसका सत्यापन कराकर उसे गलत साबित करने का भार उत्तरदाता पर था। उत्तरदाता द्वारा टिकट का सत्यापन कराया गया जिसमें बताया गया है कि उक्त टिकट ट्रेन सं0 18623 एक्स0, दिनांक 12.11.2018 को पटना से रांची के लिए दो व्यक्तियों, राखी कुमारी एवं नागेन्द्र सिंह के लिए बुक किया गया है।

इससे साबित होता है कि मृतका यात्रा करने के लिए यात्रा टिकट खरीदी हुयी थी।

17. रेल के सद्भावी यात्री के सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम रीना देवी, अपील संख्या 4945 ऑफ 2018 निर्णित दिनांक 09.03.2018 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है –

"...mere presence of body on the railway premises will not be conclusive to held that injured or deceased was a bonafide passenger for which claim for compensation could be maintained. However, mere absence of ticket with such injured or deceased will not negative the claim that he was a bonafide passenger. Initial burden will be on the claimant which can be discharged by filing an affidavit of the relevant facts and burden will be then shift on the Railways and the issue can be decided on the facts shown or the attending circumstances. This will have to be dealt with from case to case on the basis of facts found. The legal position in this regard will stand explained accordingly."

अतः यह जिम्मेदारी याचीगण की है कि वे प्रथमतः अपने दावे को सिद्ध करें और इसके लिए वे शपथपत्र के साथ संगत साक्ष्य प्रस्तुत करें। याचीगण द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष यात्रा टिकट की प्रति प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ अब जिम्मेदारी

उत्तरदाता पक्ष की थी कि वह इस टिकट की वैधता का खण्डन करे। उत्तरदाता इस टिकट को अवैध साबित करने में असमर्थ रहा है।

18. याचीगण ने याचिका में अभिकथन किया है कि उक्त ट्रेन जब दिनांक 13.11.2018 की सुबह मूरी और सिल्ली स्टेशन के बीच कोचो रेलवे फाटक के पोल नं0 357/27 के निकट से गुजर रही थी, इसी दौरान मृतका बेसिन के पास हाथ–मुंह धो रही थी। इसी क्रम में ट्रेन से झटका लगने तथा बेसिन के पास फिसलन के चलते पैर फिसलने के कारण मृतका अचानक चलती ट्रेन से नीचे गिर गयी। इस दुर्घटना में आयी गंभीर चोटों के कारण घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी।

19. व–अनुभाग अभियंता स्थाई रेल पथ (प्रभारी) द0 पू0 रेलवे टाटीसिलवे द्वारा जारी मेमों के अनुसार–

" As reported by Keyman of Gang 1, Sri Puran- A female dead body is lying at KM 357/25-27 UP between Muri-SCF UP line nearby track (but out of Railway running line).

Pls do need ful action and inform to all concern.

20. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के कॉलम सं0 9 में मृत्यु का कारण–

" उक्त गवाहों द्वारा बताये के अनुसार मृतका की मृत्यु ट्रेन से गिरकर हुई है। "

21. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार–

Opinion- 1. The injuries are Antemortem in nature.

2. Caused by hard and blunt substance.

3. Death is due to Haemorrhage and Shock.

22. पुलिस फाइनल रिपोर्ट के अनुसार–

" मृतका की मृत्यु ट्रेन से गिरने के दौरान तथ गंभीर जख्मी होने के कारण होना अंतिम प्रतिवेदन संख्या 13/18, दिनांक 13.11.2018 को समर्पित करता हूं तथा यू0डी0 काण्ड की जाँच बंद करता हूँ। "

23. वैधानिक विवेचना आख्या के अनुसार–

" The deceased travelled in the subject train with gross negligence which resulted in falling her from the running train for which the deceased herself was responsible."

डीआरएम रिपोर्ट मे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि मृतका वैध रेलवे टिकट के साथ यात्रा कर रही थी एवं उसकी मृत्यु ट्रेन से गिरने के कारण ही हुई थी। डीआरएम रिपोर्ट के साथ संलग्न आरपीएफ की जांच रिपोर्ट से भी इस बात की पुष्टि होती है।

24. साक्षी ए. डब्ल्यू.–01 नागेन्द्र सिंह, जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह था, ने न्यायाधिकरण में अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान बताया है–

" ...मैंने मृतका को गिरते हुए देखा था। जिस वक्त मृतका गिरी थी उस वक्त मैं सीट पर बैठा हुआ था। मेरा सीट एस–4 के 9 एवं 12 नम्बर सीट था। मैं 9 नं0 सीट पर से अपनी पत्नी को गिरते हुए देखा था। मेरी पत्नी ट्रेन की दिशा में बायें दरवाजे से गिरी थी। गिरने के वक्त ट्रेन फास्ट चल रही थी। गिरने के बाद मैं हल्ला किया, चैन पुलिंग नहीं किया, गाड़ी स्टेशन से पहले ही रूक गयी थी। स्टेशन से कितने पहले रूकी थी मैं नहीं बता सकता हूं। हल्ला करने के करीब 2–3 मिनट के बाद ही गाड़ी रूक गयी थी। गाड़ी रूकने के बाद मैं दौड़ते हुए दुर्घटनास्थल पर पहुंचा था। "

इस प्रकार याची ने अपने साक्ष्य द्वारा टिकट लेकर यात्रा करने एवं ट्रेन से गिरने से सम्बंधित तथ्य को प्रतिपरीक्षण के माध्यम से व्यक्त किया है, जिसका खंडन प्रतिवादी पक्ष ने नहीं किया।

25. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस उक्त वाद बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधिक सिद्धान्तों का सम्यक अवलोकन व परिशीलन करने के उपरान्त यह विनिश्चित किया जाता है कि मृतका उक्त ट्रेन की सद्भावी यात्री थी एवं उसकी मृत्यु रेल यात्रा के दौरान प्रश्नगत रेलगाड़ी से अनपेक्षित दुर्घटना के कारण गिर जाने से आयी चोटों से हुयी है, जो कि रेल अधिनियम की धारा–123 (सी) (2) सपठित धारा 124A रेल अधिनियम 1989 के अर्न्तगत परिभाषित अनपेक्षित रेल दुर्घटना की परिधि में आती है। अतः वाद बिन्दु संख्या 01 एवं 02 तद्नुसार सकारात्मक रूप से याची के पक्ष में विनिश्चित किये जाते हैं।

<u>वाद बिन्दु संख्या 03</u>

26. विचारणीय है कि मृतका के आश्रित कौन है? ए.डब्ल्यू–1 नागेन्द्र सिंह के शपथ पत्र के अनुसार, नागेन्द्र सिंह (मृतका का पति), अभिनव कुमार एवं अभिषेक कुमार (दोनों ही मृतका का अवयस्क पुत्र) ही मृतका के आश्रित और प्रतिकर पाने के अधिकारी है। याचीगण द्वारा ग्राम पंचायत वेशवक द्वारा जारी पारिवारिक सूची प्रमाण पत्र न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यह साक्ष्य अखण्डित है जिससे आश्रितता से सम्बन्धित याची का कथन हमारे मत में पूर्णतः सिद्ध है।

27. अतः हमारे मत में याचीगण ही रेलवे अधिनियम की धारा 123 (बी) में विहित प्रावधानों के प्रकाश में मृतका के आश्रित की परिधि में आते हैं और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी है अतः यह वाद बिन्दु भी तद्नुसार याचीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या 04

28. यह वाद बिन्दु उपशम से सम्बन्धित है। रेल दुर्घटना एवं अनपेक्षित घटना नियमावली 1990 जिसे भारत सरकार के असाधारण राजपत्र संख्या 877 दिनांक 22.12.2016 द्वारा संशोधित करते हुए दिनांक 01.01.2017 से प्रभावी किया गया है, की प्रथम अनुसूची के प्रथम भाग में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) का भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। अतः हमारे मत में याचीगण प्रतिकर के रूप में ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज पंजीकरण की तिथि से निर्णय की तिथि तक, प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

29. आवेदकगण का आवेदन पत्र मुबलिग ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज पंजीकरण की तिथि से निर्णय की तिथि तक, के लिए अधिनिर्णित किया जाता है तद्नुसार आवेदकगण की याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी रेलवे निर्णीत धनराशि निम्नलिखित अनुसार अदा करेंगे:–

क्रम सं0	लाभार्थी का नाम	मृतका से संबंध	उम्र (वर्षों में)	एवार्ड की गयी धनराशि (₹)	पार्टी के खाते में भुगतान की जाने वाली राशि (₹)	राशि जो सावधि जमा खाता में तीन वर्षों के लिए जमा की जानी है (₹)
1.	नागेन्द्र सिंह	पति	46	₹6,00,000	₹80,000	₹5,20,000
2.	अभिनव पटेल	पुत्र	12	₹1,00,000	शून्य	₹1,00,000*
3.	अभिषेक पटेल	पुत्र	11	₹1,00,000	शून्य	₹1,00,000*

30. नोट–* अभिनव कुमार एवं अभिषेक कुमार (दोनों ही मृतका का अवयस्क पुत्र) के हिस्से की पूरी राशि उनके वयस्क होने तक या तीन वर्ष के लिए, जो भी बाद में हो, सावधि जमा में रखा जाएगा।

31. अभिनव कुमार एवं अभिषेक कुमार (दोनों ही मृतका का अवयस्क पुत्र) का अंश उनके पिता नागेन्द्र सिंह के संरक्षण में खोले गए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा योजना में, उनके स्थायी निवास स्थान के निकटतम, उनके वयस्क होने या तीन वर्ष के लिए, जो भी बाद में आये, की अवधि के लिए जमा किया जाएगा। उनके पिता नागेन्द्र सिंह अपने अवयस्क पुत्र के भरण–पोषण/रखरखाव के लिए नियमित अंतराल पर सावधि जमा पर ब्याज प्राप्त करने के हकदार होंगे। संचित ब्याज, यदि कोई हो, मूल राशि के साथ परिपक्वता की तारीख को बिना किसी निर्देश के उपयोग के लिए भुगतान किया जाएगा।

32.(a) प्रतिवादी रेलवे को निदेशित किया जाता है कि निर्णित प्रतिकर की धनराशि ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज पंजीकरण की तिथि से निर्णय की तिथि तक, निर्णय की प्रति प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अपर निबंधक पटना के यहाँ जमा करेगा। यदि प्रतिवादी रेलवे 30 दिन के अंदर प्रतिकर धनराशि नहीं जमा करता है तो निर्णय की तिथि से प्रतिकर जमा करने की तिथि तक 9 प्रतिशत मय साधारण ब्याज प्रतिकर धनराशि जमा करेगा। अपर निबंधक पटना एवार्ड की धनराशि याची द्वारा समस्त औपचारिकता पूरी करने के पश्चात 90 दिन के अंदर भुगतान करे।

(b) याचीगण को एवार्ड की गयी धनराशि में से ₹80,000/– (अस्सी हजार रूपये मात्र) निर्णीत धनराशि का 10 प्रतिशत एवं उनके हिस्से के प्रतिकर पर उत्पन्न सम्पूर्ण ब्याज

समान अनुपात में ई.सी.एस. द्वारा उनके बचत खाते में भुगतान की जायेगी। शेष धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक में तीन वर्ष के लिए किसी सावधि जमा योजना (एफ.डी.आर.) के अन्तर्गत निवेशित की जायेगी। मूल, नियत निक्षेप बैंक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। तथापि, एफडीआर संख्या, एफडीआर रकम, परिपक्वता की तारीख और परिपक्वता की रकम अंतर्विष्ट करने वाला विवरण बैंक द्वारा दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) को प्रस्तुत किया जाएगा।

(c) याचीगण को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने निवास स्थान के निकट स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार से जुड़े अपने बचत बैंक खाते का विवरण इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक पटना को एक माह के अंदर उपलब्ध कराये। बैंक उनके बचत बैंक खाते या सावधि जमा खाते में किसी भी संयुक्त नाम को जोड़ने की अनुमति नहीं देगा अर्थात् उनका बचत खाता एकल बचत खाता होगा, संयुक्त खाता नहीं होगा।

(d) एफ.डी.आर. की परिपक्वता राशि याची के सम्बंधित बचत खाते में इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम (ई.सी.एस.) द्वारा जमा की जायेगी।

(e) न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना सावधि जमा पर कोई ऋण, अग्रिम निकासी या समय से पहले भुगतान की अनुमति नहीं होगी।

(f) सम्बंधित बैंक याचीगण को कोई चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं करेगा। डेबिट कार्ड या चेकबुक पूर्व में ही जारी किये जाने की स्थिति में बैंक प्रतिकर की धनराशि के वितरण के पूर्व ही इसे (रद्द) कर देगा।

(g) बैंक प्रत्येक याचीगण की पासबुक पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि कोई भी चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। याची विधिवत आवश्यक पृष्ठांकन के साथ बैंक मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी पासबुक न्यायाधिकरण के अपर निबंधक पटना के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह प्रत्येक याची को केवल निकासी फार्म के माध्यम से अपने बचत खाते से पैसा निकालने की अनुमति देगा।

33. निर्णय की प्रति दोनों पक्षकारों को बिना किसी मूल्य के उपलब्ध करायी जाय और याची को निर्णय की प्रति उसके निवास स्थान पर स्पीड पोस्ट से भेजा जाय। तत्पश्चात समस्त औपचारिकता पूरी होने के पश्चात फाइल को दाखिल दफ्तर किया जाय।

(वीरेन्द्र कुमार गोयल)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण भुवनेश्वर
सर्किट बेंच पटना
दिनांक 23.10.2024

निर्णय आज दिनांक 23.10.2024 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार गोयल)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण भुवनेश्वर
सर्किट बेंच पटना
दिनांक 23.10.2024